

समाज कल्याण विभाग
मूक एवं बधिर विद्यालय परिसर,
दिल्ली गेट, नई दिल्ली-02

अतांरकित प्रश्न संख्या:- 230

दिनांक: - 09.08.2018

प्रश्नकर्ता: - श्री गिरीश सोनी

क्या समाज कल्याण मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि

प्रश्न	उत्तर									
(क) वृद्ध एवं विकलांग पेंशन किस विभाग के अधीन आती है;	वृद्ध एवं विकलांग पेंशन समाज कल्याण विभाग के अधीन आती है।									
(ख) पिछले वर्ष मादीपुर विधानसभा से वृद्ध एवं विकलांग पेंशन के कितने आवेदन फॉर्म विभाग को प्राप्त हुए;	पिछले वर्ष (2017-18) मादीपुर विधानसभा से वृद्ध एवं विकलांग पेंशन के कुल प्राप्त आवेदनों का विवरण निम्न प्रकार है-									
(ग) प्राप्त पेंशन आवेदन पत्रों में से कितने आवेदकों को पेंशन जारी की जा चुकी है; उनका पूर्ण ब्यौरा दिया जाये;	<table border="1"> <thead> <tr> <th>योजना</th> <th>कुल आवेदन प्राप्त</th> <th>जारी की गई पेंशन</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>वृद्धावस्था पेंशन</td> <td>1200+70 (MCD)</td> <td>789</td> </tr> <tr> <td>विकलांग पेंशन</td> <td>60+8 (MCD)</td> <td>35</td> </tr> </tbody> </table>	योजना	कुल आवेदन प्राप्त	जारी की गई पेंशन	वृद्धावस्था पेंशन	1200+70 (MCD)	789	विकलांग पेंशन	60+8 (MCD)	35
योजना	कुल आवेदन प्राप्त	जारी की गई पेंशन								
वृद्धावस्था पेंशन	1200+70 (MCD)	789								
विकलांग पेंशन	60+8 (MCD)	35								
(घ) किन आवेदकों को पेंशन अभी तक जारी नहीं की गयी है, उनमें देरी के क्या कारण हैं;	<p>481 वृद्ध एवं 33 विकलांग पेंशन के आवेदकों को पेंशन जारी करने में देरी के निम्न मुख्य कारण हैं-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ऑनलाइन अपलोड किए गए दस्तावेज अपूर्ण होने पर। 2. दस्तावेज स्पष्ट न दिखाई देने के कारण। 3. आवेदक ने केवल पंजीकरण किया किंतु दस्तावेज अपलोड नहीं किए गए। 4. दस्तावेजों में त्रुटि पाये जाने पर आवेदक द्वारा समय पर सही दस्तावेज उपलब्ध न कराए जाने के कारण। 5. सरकार के निर्णयानुसार ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा हेतु यूजर आईडी पारवर्ड दिल्ली के सभी सांसदों, विधायकों, निगम पार्षदों, जिला कार्यालयों को दिया गया तथा साथ ही व्यक्तिगत रूप से सीटिजन लॉगिन के माध्यम से आवेदन करने की सुविधा प्रदान की गई, जिस कारण बड़ी संख्या में आवेदन विभाग के जिला कार्यालयों में सत्यापन एवं स्वीकृति के लिए एक साथ प्राप्त 									

Dr. MAHESH SHARMA
Dy. Director (FAS)
Deptt. of Social Welfare
Govt. of N.C.T. of Delhi
G.L.N.S. Complex, Delhi Gate
New Delhi-110002

		<p>हुए। जिस कारण समयबद्ध तरीके से आवेदनों का निपटारा संभव नहीं हो पाया।</p> <p>6. बैंक से आधार कार्ड का लिंक न होना।</p> <p>7. अंतिम स्वीकृति के लिए केवल जिला सभाज कल्याण अधिकारी ही नियमानुसार अधिकृत है। जिला अधिकारी अपनी क्षमता अनुसार ही आवेदनों का निपटारा कर पाते हैं।</p>
(इ)	क्या यह सत्य है कि पेंशन जारी न करने का विशेष कारण बैंक से आधार कार्ड का लिंक न होना भी है; और	जी हां।
(च)	ऐसी स्थिति में विभाग द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं, उसकी विस्तृत जानकारी दी जाये?	<p>ऐसी स्थिति में विभाग द्वारा संबंधित बैंकों से समन्वय कर समस्या का निपटारा किए जाने का प्रयास किया जा रहा है।</p> <p>आधार नंबर को बैंक खाते से लिंक कराने संबंधी होने वाली कठिनाइयों से बचने के लिए मंत्री परिषद् ने आधार लिंकिंग की अनेवार्यता को खत्म करने का निर्णय लिया है।</p>

~~Dr. MAHESH SHARMA~~

~~Dy. Director (FAS)~~

Deptt. of Social Welfare

Govt. of N.C.T. of Delhi

G.L.N.S. Complex, Delhi Gate

New Delhi-11